विविध **बैंक प्रकरण संख्या 57/2022** (GCMS : **2022/85**) **आवास फाईनेंसर्स लि.**, पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर व शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2, द्वितीय तल, शक्ति मार्ग, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम कुमार **बनाम 1. कालीदास** पुत्र शंकर लाल निवासी गांव रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर एवं अहाता नम्बर 194 के आबादी भूमि रत्तेवाला, 9 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **2. दर्शन लाल** पुत्र शंकर लाल निवासी गांव रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **3. सरोज बाई** पत्नी काली दास निवासी 407, 9 बीबी गांव रत्तेवाला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **4. सुखदेव सिंह** पुत्र सुरजीत सिंह निवासी पोस्ट ऑफिस टोमकोट, पदमपुर 52 आरबी जिला श्रीगंगानगर **5. सतीश कुमार** पुत्र वजीर चंद निवासी 52 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को उसके प्रार्थना पत्र पर पुनः सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 29.3.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण कालीदास, दर्शन लाल, सरोज बाई, सुखदेव सिंह एवं सतीश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 4.00/– (अखरे रूपये चार लाख मात्र) एवं 2.50/– (अखरे रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) का ऋण क्रमशः दिनांक 21.10.2013 एवं 07.07.2015 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दर्शन लाल की सम्पत्ति अहाता नं 194–के(क्षेत्रफल 2337 वर्गफीट) आबादी भूमि रत्तेवाला, 9 बीबी पदमपुर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने में फॉर्मल डिफेक्ट होने के कारण वे प्रकरण वापिस लेकर पुनः प्रस्तुत करना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:39:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** कालीदास, दर्शन लाल, सरोज बाई, सुखदेव सिंह एवं सतीश कुमार को 4.00/– (अखरे रूपये चार लाख मात्र) एवं 2.50/– (अखरे रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति क्रमशः दिनांक 21.10.2013 एवं 07.07.2015 **को प्रदान की थी**। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी दर्शन लाल की सम्पत्ति अहाता नं 194–के(क्षेत्रफल 2337 वर्गफीट), आबादी भूमि रत्तेवाला, 9 बीबी पदमपुर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **22.07.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.07.2021 को जारी किये गये है तथा अप्रार्थी कालीदास, दर्शन लाल, सरोज बाई, सुखदेव सिंह को धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद संलग्न है इसी प्रकार कालीदास, सरेाज एवं दर्शन लाल के ऑन लाईन ट्रैक संलग्न किये गये है तथा अप्रार्थी सुखदेव के ऑन ट्रेक की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2021– Insufficiant Addrerss अंकित है और दिनांक 13.08.2021 की रिपोर्ट के अनुसार धारा 13(2) का नोटिस प्रार्थी बैंक को ही रिसिव हो गया है तथा अप्रार्थी सतीश कुमार को धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की [illegible] **र प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई** [illegible] **है अर्थात वापिस लेकर पुनः प्रस्तुत करना चाह**[illegible] लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो प[illegible]ली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:01 IST
Reason: SelfAttested